न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर
समक्ष
श्रीमती मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 41–तीन/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.0.2013 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, जिला शहडौल – प्रकरण क्रमांक 202/अ–12/2011–12 निगरानी

श्रीमती सकुन श्रीवास्तव पत्नि स्व.उमाशंकर
निवासी अहिरानटोला बुढ़ार तहसील बुढ़ार
जिला शहडौल मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती भोगीवाई पत्नि स्व. हीरालाल ढीमर
ग्राम धनपुरा तहसील बुढ़ार जिला शहडौल ---अनावेदक

(श्री विकास मिश्रा अभिभाषक – आवेदक)
(श्री जयशॅकर मिश्रा अभिभाषक – अंनावेदक)

अ ा दे श

(आज दिनांक 01 –10– 2015 को पारित)

अपर कलेक्टर जिला शहडौल द्वारा प्रकरण क्रमांक 202/अ–12/2011–12 निगरानी में पारित आदेश दि. 30.9.2013 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने नायव तहसीलदार बुढ़ार के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसके स्वत्व की आराजी क्रमांक 289 रकबा 1.27 एकड़ के सीमांकन की मांग की । नायव तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक वृत्त धनपुरी को मौके की स्थिति अनुसार सीमांकन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। राजस्व निरीक्षक ने दिनांक 23–5–10 को सीमांकन करते हुये प्रतिवेदन दिनांक 30.5.10 प्रस्तुत किया, जिस पर से नायव

तहसीलदार उप तहसील बुढ़ार ने प्रकरण क्रमांक 59 अ 12/2009-10 में आदेश दिनांक 24-7-2010 पारित किया एंव राजस्व निरीक्षक के सीमांकन प्रतिवेदन अनुसार सीमांकन स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक व्दारा अपर कलेक्टर जिला शहडौल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर शहडौल ने प्रकरण क्रमांक 202/ अ-12/2011-12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30.9.2013 से निगरानी 06 माह वाद प्रस्तुत होने के कारण अवधि-वाह्य होना मानते हुये निरस्त कर दी। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव न्यायालय नायव तहसीलदार बुढ़ार के प्रकरण क्रमांक 59 अ 12/2009-10 में संलग्न अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि आवेदक को राजस्व निरीक्षक ने संभवतः सीमांकन दिनांक की सूचना उचित ढंग से अथवा व्यक्तिगत तौर पर नहीं दी है क्योंकि आवेदक ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर बताया है कि उसके हस्ताक्षर सूचना पत्र पर अंग्रेजी में बनाये गये है जबकि वह हिन्दी में हस्ताक्षर करती है। राजस्व निरीक्षक व्दारा सीमांकन कार्यवाही का मौके पर पंचनामा तैयार किया है इस पर भी आवेदक के हस्ताक्षर नहीं है । स्पष्ट है कि आवेदक को सीमांकन की जानकारी यथासमय नहीं हुई, किन्तु अपर कलेक्टर शहडौल ने प्रकरण क्रमांक 202/ अ-12/2011-12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30.9.2013 में इन तथ्यों पर गौर न करके निगरानी अवधि-वाह्य मानकर निरस्त करने में त्रृटि की है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की

जाकर अपर कलेक्टर शहडौल द्वारा प्रकरण कमांक 202/ अ-12/ 2011-12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30.9.2013 एंव नायव तहसीलदार उप तहसील बुढ़ार द्वारा प्रकरण कमांक 59 अ 12/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 24-7-2010 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते है एंव प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि नायव तहसीलदार उप तहसील बुढ़ार इस तथ्य की जांच करें कि सूचना पत्र पर अंग्रेजी में किये गये हस्ताक्षर आवेदक हैं अथवा नहीं ? तदुपरांत उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः सीमांकन कार्यवाही आदेश पारित करने की कार्यवाही करें।

(श्रीमती मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर